राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2776/2025

लादु लाल पाराभर

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2025
आदेश की दिनांक : 06.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति मंत्रालय कर्मचारी के रूप में क० लिपिक के पद पर हुई थी। उक्त नियुक्ति विकलांग कोटे से हुई थी। वर्तमान में अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी अपनी सेवा के दोरान कार्य करता रहा है अपनी सेवा के दोरान उच्च अधिकारीयों के पद पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है। हमेशा उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना करती रही है। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर आदेश दिनाक 24–2–2025 के द्वारा राजस्थान अधिनस्थ कार्यालयी मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 व 33 के अन्तर्गत (नोन टीएसपी क्षेत्र) वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर वर्ष 2024–25 की नियमित डीपीसी हेतु आथोपित विभागीय पदोन्नती चयन समिति के आदेश दिनांक 21–3–2025 के द्वारा अनुमोदन किए जाने के फलस्वरूप चयनित कार्मिकों को संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख कालम सख्या 5 में अंकित स्थान पद स्थापित किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी का पदस्थापन सी एम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुना (224028) ब्लॉक राशमी जिला चित्तोडगढ से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोडीप ब्लॉक भदेसर जिला चित्तोडगढ में 100 कि०मी० दूर कर दिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की जगह किसी को भी पदस्थापित नहीं किया है। वर्तमान में पद रिक्त है अपीलार्थी ने पूर्व में पदोन्नती स्थान

पर कार्यग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी की नियुक्ति विकलांग कोटे से हुई थी। अपीलार्थी दोनो पेरों से विकलांग है जिसको उठाकर बैठाया जाता है। अपीलार्थी करीब 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की सेवानिवृती में मात्र तीन वर्ष शेष बचे है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी के संबंध मे जारी आदेश दिनांक 2–5–2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य